राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या –42/2020 निगरानी

1.कैलाश चन्द्र वर्मा पिता भंवर लाल वर्मा, निवासी– बीगोद तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

बनाम

1.राजेन्द्र कुमार पुत्र भंवरलाल वर्मा, निवासी बीगोद तहसील माण्डलगढ

2.ग्राम पंचायत बीगोद जरिए सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बीगोद, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध ग्राम पंचायत बीगोद द्वारा जारी पट्टा जरिए पत्रावली संख्या 124/90 दिनांक 10.12.1996

उपस्थित – श्री दिनेश सिसोदिया,अधिवक्ता, निगराकार की ओर से
श्री विपुल सेठिया, गैर निगराकार–1 की ओर से
राजकीय अधिवक्ता, गैर निगराकार–2 की ओर से

निर्णय

दिनांक 29/12/2025

निगराकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 अंतर्गत राज० पंचायती राज अधिनियम 1994 अनुसार उसके आधिपत्य का एक भूखण्ड ग्राम बीगोद में नन्दराय रोड के पीछे छात्रावास के पास अवस्थित चला आ रहा है, जिसकी नपती 110 फिट बाई 90 फिट होकर उक्त भूखण्ड पर निगराकार द्वारा टीनशेड निर्माण किया जाकर उक्त भूखण्ड के चारों तरफ पत्थरों की कोट बनी हुई है जिस पर प्रार्थी निगराकार 30–35 वर्षों से काबिज होकर अपने पशु आदि बांध, रोडी डाल निरन्तर शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, उक्त भूखण्ड पर निगराकार ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से बिजली कनेक्शन भी काफी वर्षों पूर्व ले रखा है, साथ ही जनस्वास्थ्य विभाग से भी पानी का कनेक्शन ले रखा है। किन्तु कुछ महीनो पूर्व गैर निगराकार संख्या 01 ने निगराकार को उक्त वर्णित पडौसो के मध्य के भूखण्ड से जबरन बेदखल करना चाहा जिसके संबंध में निगराकार की ओर से संबंधित थाने में कार्यवाही गैर निगराकार संख्या 01 के विरूद्ध की गयी, उस कार्यवाही के दौरान गैर निगराकार संख्या 01 ने सर्वप्रथम जानकारी दी कि उक्त भूखण्ड के अधिकांश भाग

29.12.25
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

का पट्टा तथाकथित रूप से गैर निगराकार संख्या 01 ने वार्ड पंच होते हुऐ अवैध रूप से गैर निगराकार संख्या 02 के तत्कालीन सरपंच/सचिव से प्राप्त कर लिया, जिसकी प्रति भी निगराकार को दी गयी। प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने हेतु निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र गैर निगरकार संख्या 02 के कार्यालय में प्रस्तुत किया किन्तु गैर निगराकार संख्या 02 द्वारा निगराकार से उक्त पत्रावली उपलब्ध न होने का कथन कर आज दिन तक कोई नकल निगराकार को नहीं दी गयी है। तथाकथित पट्टा अवैध होकर इसके जारी करने के संबंध में कोई पत्रावली ही गैर निगराकार संख्या 02 के कार्यालय में संधारित ही नहीं की गयी है, जो पत्रावली संख्या 124/90 दिनांक 10.12.1996 तथाकथित पट्टे में दर्शायी गयी है वह मात्र काल्पनिक है। जहां तक निगराकार को ज्ञात है गैर निगराकार संख्या 01 सन् 1996 में ग्राम बीगोद का वार्ड पंच होकर ग्राम पंचायत का सदस्य था और विधि के तहत वार्ड पंच को अपने अथवा परिवार के नाम से कोई किसी प्रकार का पट्टा ग्राम पंचायत बीगोद गैर निगराकार संख्या 02 से प्राप्त करने की कोई कानूनन अधिकारिता नहीं रखता है अर्थात् गैर निगराकार संख्या 01 ने अपने वार्ड पंच के प्रभाव का दुरूपयोग कर तथाकथित पट्टा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से तैयार कराया है जो काबिल अपास्तगी के है। उक्त भूखण्ड के पूर्व में पानी का नाला, पश्चिम में पेच एरिया, उत्तर में छात्रावास, दक्षिण में अन्य भूखण्ड होकर उक्त पडौसो के मध्य के भूखण्ड के चारो तरफ कच्ची पत्थरो की कोट निगराकार द्वारा वर्षों पूर्व निर्मित करा रखी है तथा उक्त भूखण्ड में लाखो रूपये की लागत लगा टीन शेड आदि का निर्माण करवाकर पशु बांध कर,रोडी डालकर आदि निरंतर रूप से उपयोग उपभोग में है। उक्त भूखण्ड से कोई किसी प्रकार का वास्ता संबंध गैर निगराकार संख्या 01 का नहीं है और न कभी रहा है, न गैर निगराकार संख्या 01 का उक्त भूखण्ड के किसी भी भू–भाग पर कोई किसी प्रकार का कब्जा है। पट्टा जारी करने की कार्यवाही में न तो एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया और न तीन पंचो द्वारा मौका निरीक्षण ही किया गया, न नक्शे आदि हेतु राशि ही नियमानुसार जारी की गयी, ऐसी हालत में कोई किसी प्रकार की विधिक औपचारिकताओ की पूर्ति ही न कर आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो विधि के मान्य सिद्धान्तो के विपरित होने से काबिल अपास्तगी के है। तथाकथित पट्टा जिस पत्रावली संख्या 124/90 दिनांक 10.12.1996 के द्वारा जारी किया जाना बताया जाता है उस वक्त ग्राम पंचायत में तुलसी काला को सरपंच के रूप में कार्यरत् थी ।उक्त पट्टा तत्कालीन सरपंच एवं वार्ड पंच गैर निगराकार संख्या 01 ने अवैध रूप से तैयार किया है जो विधि के सर्वथा विपरित होकर बिना निगराकार को सूचना व बिना सुनवाई का अवसर देने के कारण काबिल अपास्तगी के है। प्रार्थी निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 आपस में सगे भाई होकर उनकी समस्त हिन्दु सम्मिलित परिवार की सम्पदाओ का विभाजन काफी समय पूर्व होकर कियान्वित कर लिया गया है तथा गैर निगराकार संख्या 01 के हक व हिस्से में आये भूखण्ड पर भी गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा मकान निर्मित करवाया जा चुका है तथा प्रार्थी निगराकार के हिस्से में आये भूखण्ड को गैर

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

29.12.25
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार संख्या 01 पुनः हथियाना चाहता है और इसी दुराशय से गैर निगराकार संख्या 01 ने प्रार्थी निगराकार के आधिपत्य के भूखण्ड के अधिकांश भाग को हडपने के दुराशय से ही उक्त तथाकथित पट्टा अवैध तरीके से प्राप्त किया है जो प्रार्थी निगराकार के मुकाबले प्रारंभ गलत, अवैध, शून्य होकर काबिल अपास्तगी के है।

प्रार्थी निगराकार को उक्त तथाकथित पट्टे की सर्वप्रथम जानकारी गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को उक्त भूखण्ड से जबरन बेदखल करने के दौरान उक्त पट्टे की फोटो प्रति दिनांक 15.01.2020 को देने पर हुई, इस पर प्रार्थी निगराकार ने तथाकथित पट्टे में अंकित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपी लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया किन्तु आज दिन तक कोई नकल तथाकथित पत्रावली की निगराकार को नहीं दी गयी है किन्तु तथाकथित पट्टे के कारण प्रार्थी के हको एवं अधिकारो पर प्रत्यक्ष रूप से विपरित प्रभाव पडता है इस कारण प्रार्थी निगराकार तारीख जानकारी से ही उक्त पट्टे को अपास्त कराने हेतु यह निगरानी न्यायालय आप में बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत कर रहा है फिर भी अलग से धारा 05 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर तथाकथित पट्टा जो पत्रावली संख्या 124/90 दिनांक 10.12.1996 के द्वारा जारी किया जाना बताया जाता है, को अपास्त फरमाया जावे, हर्जा खर्चा निगराकार को गैर निगराकारान से दिलाया जाए।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में दायर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मिसल तबल की गई। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया और निगराकार एवं गैर निगराकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

गैर निगराकार राजेन्द्र कुमार की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस अनुसार निगरानी एकदम गलत और निराधार तथ्यों पर आधारित होने से काबिले खारिज है।प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य की विवादित भूखण्ड पर निगराकार का विगत 35 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है गलत होकर निराधार है। विवादित भूखण्ड के चारों तरफ 50 गुणा 40 पर जो पत्थरों की कोट बतायी गयी वह गैर निगराकार की पत्थरों की कोट है। बिजली व नल कनेक्शन भी निगराकार का नहीं होकर गैर निगराकार का ही लगा हुआ है। गैर निगराकार द्वारा पटटा लेने के लिए आवेदन दिनांक 19.02.1990 पर नियमानुसार मिसल सं 124 दिनांक 19.02.1990 कायम कर सभी औपचारिकता पूर्ण कर पंचायत के मनोनीत सदस्यों द्वारा मौका मुआयना किया गया और आपत्ति का सूचना पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं आई व नियमानुसार रसीद सं 33 दिनांक 18.12.1996 व रसीद सं 58 दिनांक 14.01.1997 से 10000/– रू शुल्क जमा कर विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला गैर निगराकार के पक्ष में साबित है।तथा पट्टा शुदा भूखण्ड पर गैर निगराकार का तनहा आधिपत्य व स्वामित्व बिना किसी रोक टोक के होकर उसका निरन्तर उपयोग उपभोग 40 वर्षों से भी अधिक समय करता चला रहा होने से सुविधा का संतुलन भी गैर निगराकार के पक्ष में साबित है। इसलिए गैर निगराकार को जरिए स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं होगा व अपूर्णीय क्षती होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं होगा। अतः गैर निगराकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकारने व स्थगन का

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जाने के आदेश प्रदान किए जाने हेतु निवेदन है। कायम मिसल सं 124/90 पर दिनांक 20.8.1996 को पंचायत द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा मौके का निरीक्षण कर गैर निगराकार का कब्जा पाया जाने से पर्चा मौका तैयार किया गया और पट्टा जारी किया तभी से उक्त विवादित भूखण्ड पर गैर निगराकार का विधिवत आधिपत्य होकर तनहा स्वामी है। उक्त पत्रावली साक्ष्य के रूप में प्रकरण हाजा की पत्रावली के साथ संलग्न है। इस प्रकार सभी अपेक्षित साक्ष्य असल दस्तावेजों के साथ पत्रावली पर मौजुद है साक्ष्य एकत्रित करने और नयी साक्ष्य पेश करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। गैर निगराकार द्वारा जवाब दावे के साथ मिसल नं 124/90 की प्रतियां पेश की गई है व विवादित भूखण्ड पर गैर निगराकार का कब्जा होने का स्पष्ट अंकन किया गया। गैर निगराकार का सन् 1990 से लगातार निंबाध कब्जा होने के बावजूद निगराकार 30 वर्षों तक कभी कोई आपत्ति नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है तथा कानूनन भी विवादित बिन्दु रेकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णित किया जा सकता है कमिश्नर की रिर्पोट के आधार पर कब्जा का प्रश्न निर्णित नहीं किया जा सकता है और कब्जा साबित करने के प्रयोजन से कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। निगराकार प्रकरण हाजा में वर्तमान स्थिति में एक मात्र पंचायत बिगोद की अबादी भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, निगराकार को बिना किसी आधार के बिना टाईटल के, विवादित भूखण्ड पर स्वामित्व व आधिपत्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार कानूनन नहीं है। यदि निगराकार का विवादीत भूखण्ड पर कब्जा होता तो सीधे ग्राम पंचायत बिगोद में भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र था लेकिन निगराकार द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आवेदन विवादीत भूखण्ड बाबत् गाम पंचायत बिगोद को नहीं दिया गया न ही निगराकार ने अपनी निगरानी व प्रार्थना पत्र ऐसा कथन ही किया है। मात्र गैर निगराकार को महज परेशान करने और प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से वैग आधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है एवं सव्यय खारीज योग्य है। न्याय निर्णयन के लिए पत्रावली पर पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है कब्जे बाबत् भिन्न भिन्न अभिमत होने का कथन सर्वथा मिथ्या और निराधार है, वास्तविक स्थिति ग्राम पंचायत बीगोद के द्वारा प्रस्तुत मिसल के आधार पर रेकार्ड पर उपलब्ध है, इसलिए कब्जे बाबत् साक्ष्य एकत्रीत करने के लिए निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना नैसृगिक न्याय के सिंद्धात के विपरीत प्रस्तुत किया गया है, कमिश्नर नियुक्त किए जाने की कतई आवश्यकता न्यायहीत नें नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। अतः गैरनिगराकार कि और लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है किया गया है कि निगराकार का अन्तर्गत धारा 26 नियम 9 सहपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है। निवेदन पत्र के साथ 1:- Shisram & ors. v/s Dola & ors 2018(1) RRT 745 एवं 2:-- Raju v/s Devi Lal & ors 2018(2) RRT 1205 न्यायिक दृष्टांत संलग्न किए गए हैं।

प्रकरण में आदेशिका दिनांक 19.03.2024 प्रा०पत्र अंतर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 151 जा०दी० को खारिज किया जा चुका है जिसमें प्रार्थी निगराकार ने मौके की वस्तुस्थिति को रिकार्ड पर मंगाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि उक्त तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रकरण में उपलब्ध हैं तथा प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में उभयपक्षों की बहस एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निर्धारण किया

न्यायालय अति. जिला कलक्टर

29.12.25
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जाना हैं। इस प्रकार कमिश्नर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी का एकमात्र उद्धेश्य अपने पक्ष में साक्ष्य एकत्रित करना एवं प्रकरण को लम्बित किया जाना प्रकट होने से कमिशनर नियुक्ति का प्रा०पत्र खारिज किया गया था।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने सन् 1996 में जारी पट्टे को निरस्त कराने बाबत् निगरानी लगभग 30 साल बाद प्रस्तुत की गई जो मियाद बाधित है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली ग्राम पंचायत बीगोद के पत्रांक 13/11.01.2022 से रिकॉर्ड पर है जिसमें प्रश्नगत पट्टा विधिवत रूप से गैर निगराकार 1 के नाम जारी है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार होकर खारिज योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी लगभग 30 वर्ष बाद प्रस्तुत करने से मियाद बाहर होने, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली रिकॉर्ड पर होकर प्रश्नगत पट्टा विधिवत रूप से गैर निगराकार 1 को जारीशुदा होने से उक्त निगरानी सारहीन ठहरती है एवं इस कारण खारिज की जाती हैं। ग्राम पंचायत बीगोद पंचायत समिति माण्डलगढ द्वारा जारी पटटा जरिए पत्रावली संख्या 124/90 दिनांक 10.12.1996 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय तल्बिदा रिकॉर्ड ग्राम पंचायत बीगोद पंचायत समिति माण्डलगढ को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.12.25

(रणजीत सिंह)
अति० जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा